Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 38/21 सी.आई.एस.क्र.– 38/21

बिजेन्द्र यादव एवं अन्य बनाम सुरेन्द्र यादव व अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
24/04/25	वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.08.24 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादीगण अनपढ़ व्यक्ति है तथा उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। प्रतिवादीगण इस वाद में उपस्थित हुए। परंतु लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को दिनांक 12.06.24 एवं प्रतिवादी 3 को दिनांक 20.02.24 को लिखित कथन देने से वंचित कर दिया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा जान–बूझकर गलती नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि उक्त आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादीगण के लिखित कथन को ग्रहण करने की कृपा की जाए। वादी के द्वारा उक्त आवेदन का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा जान–बूझकर विलम्भ करने के आशय से लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादीगण का उक्त आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1,2,3 क्रमशः 12.06.24 एवं 20.01.24 को लिखित कथन प्रस्तुत किये जाने से वंचित हो गए है। उक्त प्रतिवादीगण वाद में संघर्ष करने के लिए तैयार है तथा उनके द्वारा दिनांक 13.08.24 को लिखित कथन भी प्रस्तुत किया जा चुका है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए उभय पक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1,2,3 के उक्त आवेदन को स्वीकृत कर लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है। वाद आगामी दिनांक 14.05.25 सुलहवार्ता हेतु नियत। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूणियाँ	